



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 737]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2019/पौष 3, 1941

No. 737]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2019/PAUSHA 3, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 944(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय, सहायक निदेशक रोजगार, (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के रोजगार महानिदेशालय में सहायक निदेशक रोजगार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय, सहायक निदेशक रोजगार (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता : वह व्यक्ति

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक रोजगार	27* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसूचित	स्तर-10 (56,100-1,77,500/- रु.)	चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400/-) में रोजगार महानिदेशालय में ऐसे विभागीय	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अधिकारी, जो अनुसंधान अधिकारी-II या योजना अधिकारी या उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी या विशेष कार्य अधिकारी या कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, मनोवैज्ञानिक, अलग-अलग अभियान के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र के तकनीकी अधिकारी (ज्येष्ठ), ज्येष्ठ तकनीकी सहायक, मनोवैज्ञानिक और पुनर्वास अधिकारी, रोजगार महानिदेशालय में डेटा प्रोसेसिंग सहायक, ग्रेड 'बी' एवं डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड 'ई' का पद धारण करते हैं जिन्होंने उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने मंत्रालय द्वारा यथा प्रायोजित पद के उत्तरदायित्वों के सुसंगत क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण 1. ऐसे व्यक्ति जो दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं प्रोन्नति के लिए ऐसे प्रशिक्षण से उन्हें छूट प्राप्त होगी। टिप्पण 2. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसा अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	अध्यक्ष; 2. महानिदेशक, रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय –सदस्य; 3. उप महानिदेशक (रोजगार), रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय – सदस्य; 4. रोजगार निदेशक, रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय – सदस्य। समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए, जिसमें निम्नलिखित होंगे – 1. महानिदेशक रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय – अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक (रोजगार) –रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय – सदस्य; 3. रोजगार निदेशक, रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय – सदस्य; 4. उप सचिव, रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय –सदस्य।	
--	--	--

[फा. सं. डीजीई-ए-12018/02/2018--प्रशा.II]

अनुराधा प्रसाद, महानिदेशक (रोजगार)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2019

G.S.R. 944(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Labour and Employment, Directorate General of Employment, Assistant Director of Employment (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director of Employment in the Ministry of Labour and Employment, Directorate General of Employment, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Labour and Employment, Directorate General of Employment, Assistant Director of Employment (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,-

(a) who has entered into, or contracted, a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into, or contracted, a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Director of Employment.	27* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A', Non-Ministerial, Gazetted.	Level-10 (Rs.56,100 1,77,500/-).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not Applicable.	Two years.	By promotion.	Promotion: The Departmental officers holding the post of Research Officer-II or Planning Officer or Sub-Regional Employment Officer or Officer on Special Duty or Junior Scientific Officer, Psychologist in Directorate General of Employment, Technical Assistant (Senior), Senior Technical Assistant, Psychologist and Rehabilitation Officer of National Career Service Centre for Differently Abled, Data Processing Assistant Grade 'B' and Data Entry Operator Grade 'E' in Directorate General of Employment in level-7 (Rs.44,900-1,42,400/-) in the pay matrix with three years of regular service rendered in the grade after appointment thereto and have successfully completed two weeks training in the relevant field of duties and responsibilities of the post, as sponsored by the Ministry. Note 1.- Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training for promotion. Note 2.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of- - Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman; - Director General, Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment – Member; - Deputy Director General (Employment), Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment – Member; - Director of Employment, Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of- 1. Director General, Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment – Chairman; 2. Deputy Director General (Employment), Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment – Member; 3. Director of Employment, Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment – Member; 4. Deputy Secretary, Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment – Member.	
--	--

[F. No. DGE-A-12018/02/2018-Adm. II]

ANURADHA PRASAD, Director General (Employment)